

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गोप्र) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गोप्र./2011

जयपुर, दिनांक 19 MAR 2020

—:परिपत्रः—

विषय:— समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन संशोधित IPR भरने के सम्बन्ध में।

~~~~~

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.01.2020 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2019 (1 जनवरी 2020 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि 15 अप्रैल 2020 तक की जाती है एवं जिन अधिकारियों द्वारा IPR भरते समय सहवन से गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी गई थीं, वे सभी अधिकारी इस अवधि में ऑन-लाईन संशोधित IPR भर सकेंगे।

(आशीष मोदी)  
संयुक्त शासन सचिव

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलकटर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलकटर राजस्थान ।
9. रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त शासन सचिव